क्रम-संख्या–196 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 11 अक्टूबर, 2022

आश्विन 19, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2

संख्या 115 / 78-2–2022-1599060

लखनऊ, 11 अक्टूबर, 2022

अधिसूचना

प०आ०–726

चूँकि उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति, 2021 (आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 4 / 2021 / 1792 / 78–2–2020 / 254 एलसी / 2019, दिनांक 28 जनवरी, 2021 द्वारा अधिसूचित) के अधीन गैर वित्तीय प्रोत्साहन के पैरा 1 के उप पैरा 8.1 के अधीन मिशन क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर के सम्बन्ध में उपबन्ध है कि राज्य में डाटा सेन्टर उद्योग को आवश्यक सेवा प्रदाता के रूप में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) के अधीन वर्गीकृत किया जायेगा;

और, चूँकि, डाटा सेन्टर उद्योग, क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर की श्रेणी में आता है, जिसका निर्बाध संचालन किया जाना अपेक्षित है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड (छः) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल ''उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति, 2021'' के अधीन राज्य में स्थापित डाटा सेन्टर उद्योगों को ''अत्यावश्यक सेवा'' घोषित करती हैं।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 115/LXXVIII-2–2022-1599060**,** dated October 11, 2022 :

No. 115/LXXVIII-2–2022-1599060

Dated Lucknow, October 11, 2022

WHEREAS there is a provision regarding Missior critical Infrastructure under sub-para 8.1 of para 1 Non-Fiscal incentives under Uttar Pradesh Data Centre Policy, 2021 (notified *vide* IT and Electronics Section 2 notification no. 4/2021/1792/78-2–2020/254LC-2019, dated January 28, 2021) providing that the Data Centre Industry in the State shall be classified under Essential Services and maintenance Act, 1966 (Uttar Pradesh Act no. 30, 1966 as amended 1982 and 1983) as an essential service provider;

AND, WHEREAS, the Data Centre Industry falls under the category of Critical Infrastructure, which requires to be operated uninterruptedly;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-clause (vi) of clause (a) of section 2 of Essential Services and Maintenance Act, 1966, the governor is pleased to declare the Data Centre Industries established in the State under the "Uttar Pradesh Data Centre Policy, 2021", to be an "essential service".

By order,
ARVIND KUMAR,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 795 राजपत्र–2022–(1208)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1 सा0 आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स–2022–(1209)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।